अध्याय VIII
अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन

अध्याय VIII: अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों के लेन–देन के नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ
पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड

8.1 पटना में स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यान्वयन

प्रारम्भ में स्वीकृत 44 परियोजनाओं की सूची में अव्यवहारिक परियोजनाओं को शामिल किया गया था, जो पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (पी0एस0सी0एल0) तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बनाए गए योजना का त्रुटिपूर्ण होना दर्शाता है। जिसके परिणामस्वरूप अंततः परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब/अपूर्णता हुई। मिशन के लिए अनुबंध प्रबंधन भी त्रुटिपूर्ण थे, क्योंकि पूर्ण की गई योजनाएँ अपने वांछित उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पायी। कार्यक्षेत्र को अन्तिम रूप दिए बिना, वेंडर को मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किया गया। पी0एस0सी0एल0 का वित्तीय प्रबंधन भी दोषपूर्ण था, क्योंकि निधियों का विचलन कर इसका उपयोग अस्वीकृत परियोजनाओं के लिए किया गया था एवं गलत उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए गए थे।

8.1.1 परिचय

केन्द्र प्रायोजित योजना, स्मार्ट सिटी मिशन (एस0सी0एम0), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ (जून 2015) की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य वैसे शहरों को बढ़ावा देना है जो अपने नागरिकों को मूल आधारभूत संरचना, एक स्वच्छ तथा सतत वातावरण, स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग (जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से, विभिन्न ऑनलाइन सरकारी सेवाओं सहित) एवं एक गुणवत्तायुक्त जीवन उपलब्ध करवाए। इस मिशन के अन्तर्गत 100 शहरों को शामिल करना था तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि में क्रियान्वित किया जाना था।

स्मार्ट सिटी मिशन के प्रस्तावों को स्वीकृति देने, उनकी प्रगति की निगरानी करने, निधियाँ निर्गत करने एवं मध्यावधि संशोधनों को अनुशंसित करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में, संबंधित मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए, एक उच्चस्तरीय समिति (ए0सी0) का गठन किया जाना था। राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार परिचालन समिति (एच0पी0एस0सी0) द्वारा मिशन कार्यक्रम को, संपूर्ण रूप से, संचालित करना था।

केन्द सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रति शहर, औसतन, ₹ 100 करोड़ की वित्तीय सहायता (जून 2015) प्रदान की जानी थी। संबंधित राज्य/शहरी स्थानीय निकाय (यू0एल0बी0) द्वारा भी, समान अनुपात में, समान राशि का योगदान किया जाना था।

बिहार राज्य में, स्मार्ट सिटी के रूप में विकास के लिए चार शहरों[1] का चयन किया गया था, जिसमें से, पटना शहर को इस मिशन के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत

[1] भागलपुर, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर एवं पटना।

सरकार द्वारा जून 2017 में नामित किया गया था। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, ने पटना में 44 विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की योजना बनाई, जिसके लिए ₹ 2,776.16 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी (अक्टूबर 2017) गई, जैसा कि **परिशिष्ट 8.1** में बताया गया है। राज्य में, स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत चयनित परियोजनाओं को पूर्ण करने की समय सीमा, प्रारम्भ में वित्तीय वर्ष 2019–20 तक थी, परन्तु इसे जून 2023 तक बढ़ा दिया गया था।

8.1.2 संगठनात्मक संरचना

मिशन के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु मूल्य निरूपण, अनुमोदन, निधियाँ जारी करने की दृष्टि से, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने नवम्बर 2017 में एक विशेष प्रयोजन संस्थान[2] (एस0पी0वी0) पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (पी0एस0सी0एल0) की स्थापना की।

पी0एस0सी0एल0 के निदेशक मंडल में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सात निदेशक (अध्यक्ष के रूप में, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, के प्रधान सचिव, सहित) शामिल थे। पटना नगर निगम के नगर आयुक्त, पी0एस0सी0एल0 के प्रबंध निदेशक (एम0डी0) के रूप में कार्यरत थे। एम0डी0, जिनकी सहायता मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी0ई0ओ0) द्वारा की जाती थी, सभी कार्यकारी मामलों के लिए उत्तरदायी थे, जबकि पी0एस0सी0एल0 की दिन–प्रतिदिन की योजना, निष्पादन और प्रबंधन के कार्यों के लिए सी0ई0ओ0 उत्तरदायी थे।

8.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्याः

- मिशन के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई योजनाओं/कार्यों की जो योजना बनाई गई थी, उन्हें कुशल, मितव्ययी एवं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया गया
- योजनाओं के अन्तर्गत निधियों के प्रबंधन एवं उपयोग में स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया था तथा
- परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए, पर्याप्त अंतर–विभागीय समन्वय एवं एक प्रभावी निगरानी तथा नियंत्रण तंत्र मौजूद था।

8.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड

अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षा मापदंड थेः

- भारत सरकार द्वारा निर्गत स्मार्ट सिटी मिशन (एस0सी0एम0) दिशानिर्देश;
- नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, द्वारा निर्गत प्रशासनिक आदेश/परिपत्र तथा

8.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

इस अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए जनवरी 2022 से फरवरी 2022 तक लेखापरीक्षा की गयी थी, तथा पुनः सितम्बर 2022 में लेखापरीक्षा परिणामों को अद्यतन किया गया था।

[2] विशिष्ट या अस्थायी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, वैधानिक रूप से बनाई गई इकाई।

इसका मुख्य उद्देश्य मिशन के लिए निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इसकी संकल्पना, योजना एवं कार्यान्वयन के संबंध में, मिशन के कार्यान्वयन का आकलन करना था। अनुपालन लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि को शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार तथा पी0एस0सी0एल0 के मुख्यालय में रखे गए स्मार्ट सिटी प्रस्तावों की योजना एवं उनके सापेक्ष परियोजना निष्पादन से संबंधित दस्तावेजों/सूचना की जाँच; लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर; प्रश्नावलियों, प्रपत्रों के माध्यम से सूचना का संग्रह इत्यादि शामिल है।

8.1.6 लेखापरीक्षा परिणाम

उपर्युक्त लेखापरीक्षा उद्देश्यों से संबंधित, लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा, अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

8.1.7 योजना

स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना था, जो अपने नागरिकों को मूल आधारभूत संरचना, स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग एवं एक गुणवत्तायुक्त जीवन उपलब्ध करवाए। इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए प्रभावी योजना की आवश्यकता थी। क्रियान्वयन की जाने वाली परियोजनाओं की योजना से संबंधित, विसंगतियों की चर्चा, अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

8.1.7.1 अवास्तविक एवं अव्यवहारिक स्मार्ट सिटी प्रस्ताव

स्मार्ट सिटी मिशन विवरण एवं दिशानिर्देश के खण्ड 6.1 के अनुसार, प्रत्येक शहर को अपने स्थानीय संदर्भ, संसाधनों तथा अभिलाषा के स्तर के अनुसार, स्मार्ट सिटी के लिए अपनी संकल्पना, दृष्टि, मिशन तथा योजना तैयार करनी थी। विवरण एवं दिशानिर्देश के खण्ड 6.3.1 में उल्लिखित है कि शहर–व्यापी अवधारणा योजना एवं स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एस0सी0पी0) निर्मित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये फर्मों के पैनल में से, राज्य एक सलाहकार फर्म का चयन कर सकते है। अग्रेत्तर, इन दिशानिर्देश के खण्ड 10.6 में उल्लिखित है कि एस0पी0वी0 क्षेत्र आधारित परियोजनाओं के डिजाइन, विकास, प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकारों की नियुक्ति कर सकते हैं।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि :

- एक शहर–व्यापी अवधारणा योजना बनाने के लिए, जिसमें स्मार्ट सिटी मानदंडो/उद्देश्यों/लक्ष्यों पर केन्द्रित समग्र रणनीति के साथ एक शहर स्वच्छता योजना, शहर गतिशीलता योजना तथा मास्टर योजना शामिल होनी थी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं मेसर्स आर्किटेक्नो कंसल्टेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के मध्य, ₹ 28.47 लाख (सेवा कर सहित) का एक एकरारनामा (26 जुलाई 2016) किया गया था। अग्रेतर, अवधारणा योजना नागरिकों के साथ परामर्श पर आधारित होनी थी। यह एकरारनामा 100 दिनों की अवधि के लिए किया गया था। भुगतान अनुसूची के अनुसार, पटना नगर निगम द्वारा शहर–व्यापी अवधारणा योजना (पहला डिलिवरेबल) की स्वीकृति पर अनुबंध राशि का 10 प्रतिशत; प्रारूप स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (दूसरा डिलिवरेबल) की स्वीकृति पर अनुबंध राशि का 50 प्रतिशत एवं अंतिम स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (तीसरा डिलिवरेबल) की स्वीकृति पर अनुबंध राशि का 40 प्रतिशत इसके द्वारा भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सलाहकार ने सितम्बर एवं अक्टूबर 2016 में क्रमशः पहला एवं दूसरा डिलिवरेबल प्रस्तुत किया था। पटना नगर निगम ने पहला डिलिवरेबल स्वीकार कर लिया था एवं सलाहकार को ₹ 2.84 लाख (जनवरी 2017) का भुगतान कर दिया था। हालाँकि, इसने दूसरे डिलिवरेबल में कई कमियाँ[3] पाई (जनवरी 2017) तथा इसलिए, इसने न तो दूसरे डिलिवरेबल के लिए भुगतान किया, न ही अनुबंध की अवधि बढ़ाई।

- पी0एम0सी0 ने अनुमोदन के लिए एस0सी0पी0 को नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को प्रस्तुत किया (मार्च 2017) जिसमें यह दावा किया गया था (मार्च 2017) कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से, लगभग 1.98 करोड़ व्यक्तियों तक पहुँच के साथ, व्यापक नागरिक परामर्श के आधार पर, एस0सी0पी0 तैयार किया गया था। हालाँकि, 1.98 करोड़ व्यक्तियों तक पहुँच के संबंध में, दस्तावेजी साक्ष्य, ना तो नगर विकास एवं आवास विभाग के पास ना ही पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास उपलब्ध था।
- नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने, 44 परियोजनाओं वाले पटना स्मार्ट सिटी के लिए एस0सी0पी0, उच्चाधिकार परिचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया (मार्च 2017)। उच्चाधिकार परिचालन समिति की अनुशंसा (मार्च 2017) पर भारत सरकार द्वारा इसे अनुमोदित (जून 2017) किया गया था।
- पी0एस0सी0एल0 ने, खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से, मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में एप्टिसा सर्विसियस डी इंजेनिरिया, एस0एल0 (एप्टिसा) को नियुक्त (दिसम्बर 2017) किया। अन्य बातों के साथ–साथ कार्य का विषय क्षेत्र परियोजना डिजाईन एवं विकास कार्य निर्धारित करता है, जिसमें परिस्थिति विश्लेषण प्रतिवेदन (एस0ए0आर0), व्यवहार्यता प्रतिवेदन (एफ0आर0) एवं प्रारम्भिक/विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (पी0डी0आर0/डी0पी0आर0) तैयार करना शामिल है। इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए, जनवरी 2018 से 36 माह के लिए ₹ 21.85 करोड़ में, फर्म के साथ अनुबंध किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(i) एप्टिसा ने, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, एस0सी0पी0 की 44 परियोजनाओं/31 परियोजनाओं का एस0ए0आर0/एफ0आर0 निर्मित एवं प्रस्तुत किया था (फरवरी 2018 से नवम्बर 2018)। हालाँकि, फर्म ने मात्र 11 परियोजनाओं के लिए ₹ 2.53 करोड़ का दावा किया (फरवरी 2019 और मार्च 2019) एवं तद्नुसार भुगतान किया गया (अप्रैल 2019) था। बाद में, 11 में से तीन[4] परियोजनों को पी0एस0सी0एल0 ने छोड़ दिया।

(ii) तत्पश्चात् पी0एस0सी0एल0 ने कई कमियाँ देखी यथा अपूर्ण परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0); विस्तृत डिजाइन, एवं चित्र, एवं अनुमान प्रस्तुत न करना; तथा एप्टिसा द्वारा निर्मित एस0ए0आर0/एफ0आर0/डी0पी0आर0 में लाभार्थी सर्वेक्षण

[3] दस्तावेजों में क्षेत्र आधारित विकास (ए0बी0डी0) योजना, समग्र शहरी (पैन सिटी) योजना तथा वित्तीय योजनाओं के विवरण एवं अभिसरण विवरण शामिल नहीं थे।

[4] **स्मार्ट रोड नेटवर्क** (स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के कार्यक्षेत्र के बाहर होने के कारण परियोजना को छोड़ दिया गया), **रेलवे स्टेशन पुनर्विकास** (पहले से भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आम जन को आकर्षित करने के कारण अगस्त 2019 में छोड़ दिया गया) तथा **ई–रिक्शा** (शहर की बढ़ती जनसंख्या के कारण जनवरी 2021 में छोड़ दिया गया)।

का संचालन नहीं करना। इसलिए, इसने पुनः जाँच की एवं केवल ₹ 0.64 करोड़ का भुगतान स्वीकार किया (जून 2020)। हालाँकि, ₹ 1.89 करोड़[5] की अंतर राशि, फर्म से वसूल नहीं की गई थी (सितम्बर 2022), जिसके परिणामस्वरूप ₹ 42 लाख[6] के ब्याज की हानि हुई। इसलिए, एस0ए0आर0/एफ0आर0/डी0पी0आर0 में त्रुटियों पर विचार किए बिना एवं उचित जाँच के बिना भुगतान किया गया था।

अतः, पी0एस0सी0एल0 के उदासीन दृष्टिकोण के कारण, एप्टिसा को ₹ 1.89 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

अग्रेतर, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) के खण्ड 13 एवं 18 के अनुसार, निविदा करने की तिथि पर निविदाकर्त्ता को किसी भी सरकार/सरकारी बोर्ड/निगम/कम्पनी/सा0क्षे0उ0, द्वारा प्रतिबंधित सूची में नहीं डालना/बहिष्कृत नहीं किया जाना/हटाया नहीं जाना चाहिए। हालाँकि, फर्म ने, अपनी निविदा जमा करते समय (अक्टूबर 2017), जून 2017 में अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ अनुबंध समाप्त होने के तथ्य को छुपाया। पी0एस0सी0एल0 को जुलाई 2020 में इस तथ्य का पता चला तथा फर्म के साथ अनुबंध समाप्त (जुलाई 2020) कर दिया। फर्म द्वारा प्रस्तुत, ₹ 4.58 करोड़ की निष्पादन बैंक गारंटी को नकदीकृत करा लिया गया (जुलाई 2020)। हालाँकि, उस समय तक, पी0एस0सी0एल0 ने एप्टिसा को, इसके द्वारा किये गये कार्यों के लिए ₹ 9.37 करोड़ का भुगतान पूर्व में ही कर दिया था।

- भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा (अगस्त 2022) कि जो परियोजनाएँ जून 2023 तक पूर्ण नहीं की जा सकेगी, उन्हें केन्द्र से निधियाँ प्राप्त नहीं हो सकेगी तथा जून 2023 के पश्चात्, इस मद की समस्त देनदारियों का वहन बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। अक्टूबर 2022 तक, 44 स्वीकृत परियोजनाओं में 29 **(परिशिष्ट 8.2)** परियोजनाएँ, अन्य एजेंसी द्वारा पूर्व से परियोजनाओं का क्रियान्वयन, भूमि की अनुपलब्धता, छत पर खेती की गैर–आवश्यकता, भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में परियोजनाओं द्वारा भारी भीड़ को आकर्षित करने की संभावना इत्यादि कारणों से, अव्यवहारिक पाए जाने के कारण, प्रारम्भ नहीं की जा सकी। अतः, पी0एस0सी0एल0 ने एच0पी0एस0सी0 के अनुमोदन से, इन 29 परियोजनाओं को, जिनकी राशि ₹ 1,816.82 करोड़ थी, छोड़ दिया (नवम्बर 2022), 15 परियोजनाओं की कुल लागत को संशोधित कर ₹ 381.06 करोड़[7] कर दिया, तथा, शहर की आवश्यकता एवं व्यवहार्यता के अनुसार, मिशन के तहत ₹ 548.94 करोड़ **(परिशिष्ट 8.3)** की 14 नई परियोजनाओं को समाहित कर दिया।

---

[5] इसमें तीन छोड़ी गयी परियोजनाओं, यथा स्मार्ट रोड नेटवर्क (₹ 38.84 लाख) तथा रेलवे स्टेशन पुनर्विकास (₹ 84.27 लाख) तथा ई–रिक्शा (₹ 4.41 लाख), की ₹ 1.28 करोड़ शामिल है।

[6] ब्याज की गणना मई 2019 से सितम्बर 2022 तक 6.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से की गई है।

[7] इसमें दो परियोजनाएँ शामिल हैं, यथा, ई–बसें (₹ 10.00 करोड़) एवं जन सेवा केन्द्र (₹ 17.50 करोड़) जिसकी लागतों को संशोधित नहीं किया गया है।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2023) कि शहर एवं आम जन की आवश्यकता के अनुसार, एस0सी0पी0 को अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाने की दृष्टि से, एस0सी0पी0 के प्रस्तावों में संशोधन किया गया है। अग्रेतर, एच0पी0एस0सी0 की बैठकों तथा बोर्ड की बैठकों के दौरान भी हितधारकों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे। तद्नुसार, शहर की उन्नति के लिए तथा एस0सी0एम0 निधि के उपयोग को अनुकूलित करने की दृष्टि से, आवश्यकताओं के अनुसार, परियोजनाओं को मूल एस0सी0पी0 में समाहित किया/छोड़ दिया गया था।

प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस0सी0पी0 तैयार करने से पहले, शहर/आम जन की आवश्यकताओं का आकलन किया जाना था तथा संबंधित हितधारकों/विभागों से सुझाव प्राप्त करना था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अवास्तविक एवं अव्यवहारिक एस0सी0पी0 बनाने के कारण परियोजनाओं को वापस लिया गया/जोड़ा गया तथा उत्तरवर्ती विलंब हुआ।

8.1.7.2 त्रुटिपूर्ण योजना, जिसके कारण परियोजनाओं का विलम्बित/अपूर्ण क्रियान्वयन हुआ

परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन एवं बिना विलम्ब के परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित तथा पर्याप्त योजना आवश्यक है। विलम्ब होने से बचने के लिए, कार्य आवंटन से पूर्व, उचित सर्वेक्षण, भूमि की उपलब्धता की जाँच, संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श आदि, सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि क्रियान्वयन के तहत चार परियोजनाएँ, पूर्ण होने के अपनी निर्धारित तिथियों से पीछे चल रही थीं, जैसा कि **तालिका 8.1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 8.1.1
लम्बित परियोजनाओं की स्थिति (अगस्त 2022 तक)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	वहन किया गया व्यय	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	परियोजना की स्थिति
1	स्मार्ट रोड नेटवर्क[8]	मूल लागत : 302.00 / संशोधित लागत : 1.66	0.00	फरवरी 2021	एच0पी0एस0सी0 ने कहा (मई 2020) कि इस परियोजना के तहत सड़कों का अच्छी तरह से रख–रखाव पथ निर्माण विभाग (आर0सी0डी0) द्वारा किया गया था, इसलिए, इस परियोजना की उपयोगिता पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। अग्रेतर, परियोजना को निष्पादित करने के लिए आर0सी0डी0 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया तथा इसे समाप्त कर दिया गया। अतः, केवल सड़क के किनारे का सौन्दर्यीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु ₹ 1.66 करोड़ की स्वीकृति (नवम्बर 2022) प्रदान की गई।
2	जन सेवा केन्द्र[9] (जे0एस0के0) (10– पी0एस0सी0एल0 तथा 18– बी0एस0बी0 सी0सी0एल0[10])	17.50	7.10	दिसम्बर 2021	28 जन सेवा केन्द्रों में से, पी0एस0सी0एल0 ने 10 जन सेवा केन्द्रों का निर्माण किया था तथा बी0एस0बी0सी0सी0एल0 ने नौ जन सेवा केन्द्रों का निर्माण किया था। अग्रेतर, दो स्थानों पर कार्य प्रगति पर था तथा, सात स्थानों पर भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था।

[8] इसमें सार्वजनिक उपयोगिताएँ, सड़क निर्माण, भूदृश्य निर्माण तथा स्ट्रीट फर्नीचर की स्थापना, क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था एवं संबंधित कार्य शामिल हैं।

[9] ई–शासन को बढ़ावा देना तथा सरकार से उपभोक्ता सेवाओं के लिए पारदर्शी, त्वरित, निष्पक्ष एवं मितव्ययी तरीके से एक स्थान पर सभी समाधान प्रदान करना।

[10] बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	वहन किया गया व्यय	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	परियोजना की स्थिति
3	नव प्रवर्तनशील 3डी दीवार पेंटिंग[11]	4.94	0.54	अगस्त 2021	12 चयनित सरकारी स्थानों की दीवारों एवं फर्शों पर नव प्रवर्तनशील 3डी दीवार पेंटिंग बनाई जानी थी। छः स्थानों पर नव प्रवर्तनशील 3डी दीवार पेंटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका था और शेष छः स्थानों का कार्य प्रगति पर था।
4	ई–शौचालय[12]	4.34	0.66	दिसम्बर 2021	42 ई–शौचालयों में से, 21 प्रारम्भ हो चुके थे। जबकि शेष 21 स्थानों पर, कार्य प्रगति पर था।
कुल		**28.44**	**8.30**		

(स्रोत : पी0एस0सी0एल0 द्वारा दी गई जानकारी)

तालिका 8.1.1 से यह देखा जा सकता है कि ये चारों परियोजनाएँ, अपने पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के 15 से 25 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी, अपूर्ण थीं। इसके कारणों में उचित सर्वेक्षण के बिना और संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श किए बिना संवेदकों को कार्य आवंटित करना (जिसके कारण संबंधित विभागों/प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किये जा सके); भूमि की अनुपलब्धता; राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय की कमी इत्यादि शामिल है। अग्रेतर, वित्तीय प्रगति भी न्यून थी, क्योंकि उपलब्ध धनराशि का केवल 29.18 प्रतिशत ही व्यय किया गया था।

प्रबंधन ने, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, जवाब दिया (मार्च 2023) कि संबंधित विभागों और पी0एस0सी0एल0 के मध्य नीति तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में अंतर एवं संबंधित विभागों से, अनापत्ति प्रमाणपत्र की अनुपलब्धता के कारण विलंब हुई।

प्रबंधन का जवाब लेखापरीक्षा परिणाम की पुष्टि करता है।

8.1.8 परियोजना क्रियान्वयन

प्रशासनिक रूप से स्वीकृत 44 परियोजनाओं में से, ₹ 1,816.82 करोड़ की राशि की, 29 परियोजनाएँ, छोड़ दी गई तथा ₹ 548.94 करोड़ की राशि की, 14 नई परियोजनाएँ, मिशन में शामिल की गई। नवम्बर 2022 तक, प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय (ए0 एण्ड ओ0ई0) सहित, ₹ 980 करोड़ की, 29 परियोजनाएँ, पी0एस0सी0एल0 द्वारा क्रियान्वित की जा रही थी।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान, पायी गई कमियों की चर्चा, अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

8.1.8.1 त्रुटिपूर्ण योजना के कारण, जन सेवा केन्द्रों के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

मिशन के सुशासन घटक के अन्तर्गत, जन सेवा केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन राजस्व–सहभाजन प्रतिमान पर किया जाना था, जिसमें पी0एस0सी0एल0 द्वारा, लेन देन – आधारित सेवाओं[13] पर शुल्क लिया जाना था तथा संबंधित सेवा प्रदाताओं को मासिक आधार पर भुगतान किया जाना था। इसलिए, पी0एस0सी0एल0 ने इन जन सेवा केन्द्रों

[11] कला तकनीक का उपयोग कर बनाई गई विषय–आधारित मूर्तियाँ एवं दीवार पेंटिंग, जो त्रि–आयामी वस्तु या दृश्य का भ्रम पैदा करेंगी।

[12] ई–शौचालय प्रणाली इस्पात से निर्मित एक पूर्व–निर्मित मॉड्यूलर सार्वजनिक शौचालय है तथा यह उपयोगकर्ता के अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस के साथ एकीकृत है।

[13] बिजली शुल्क, संपत्ति कर, शस्त्र लाइसेंस शुल्क, जन्म प्रमाण पत्र, वाहन कर इत्यादि का संग्रह।

के माध्यम से भारत सरकार[14] और बिहार सरकार[15] के 17 बोर्डों/निगमों/विभागों से संबंधित विभिन्न प्रकार की 214 सेवाएँ प्रदान करने की योजना बनाई (सितम्बर 2018)। इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए पी0एस0सी0एल0 को इन विभागों के साथ समझौता ज्ञापनों[16] पर हस्ताक्षर करना था। तदनुसार, पी0एस0सी0एल0 ने 28 जन सेवा केन्द्रों के निर्माण की योजना बनाई, जिसमें से 19 जन सेवा केन्द्रों का निर्माण हो गया था तथा नौ प्रगति में थे (सितम्बर 2022 तक)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- जैसा की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) में परिकल्पना की गई, जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से, नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाएँ, यथा बिजली शुल्क का संग्रह, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, हथियार लाइसेंस शुल्क का संग्रह, होटल/लॉज लाइसेंस जारी करना, संपत्ति कर का संग्रह इत्यादि, प्रदान किया जाना था। जन सेवा केन्द्रों के अप्रैल 2020 से अप्रैल 2022 तक पूर्ण होने के निर्धारित तिथियों के साथ, जन सेवा केन्द्रों का कार्य, अप्रैल 2019 से जुलाई 2021 के दौरान आवंटित किया गया था। हालाँकि, सितम्बर 2022 तक, ₹ 7.10 करोड़ की लागत से, केवल 19 जन सेवा केन्द्र पूर्ण किए गए थे, जबकि शेष नौ जन सेवा केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति में था।

- जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से परिकल्पित सेवाएँ प्रदान करने के लिए, संबंधित विभागों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाना था, तथा एक एजेंसी के साथ अनुबन्ध किया जाना था। हालाँकि, पी0एस0सी0एल0 ने 17 बोर्डों/निगमों/विभागों में से किसी के साथ भी कोई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किये (मार्च 2023) था। अग्रेतर, केवल नौ जन सेवा केन्द्रों के लिए, एक एजेंसी[17] के साथ, सेवाएँ प्रदान करने का अनुबन्ध किया गया था। इस प्रकार, 19 पूर्ण जन सेवा केन्द्रों में से केवल नौ, एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से जनता को ऑनलाईन सेवाएँ प्रदान कर रहे थे तथा, संबंधित विभागों के साथ किसी भी समझौता ज्ञापन के अभाव में, ये जन सेवा केन्द्र जनता को सभी परिकल्पित 214 सेवाएँ प्रदान नहीं कर सके थे। शेष 10 जन सेवा केन्द्र पूर्ण (अप्रैल 2023 तक) होने के छः महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी, ऐसी सेवाएँ प्रदान नहीं कर रहे थे। यह जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से समय पर सेवाओं की पहुँच प्रदान करने के प्रति पी0एस0सी0एल0 की त्रुटिपूर्ण योजना को दर्शाता है।

- पी0एस0सी0एल0 ने सेवाएँ प्रदान करने के लिए, केवल नौ पूर्ण जन सेवा केन्द्रों के संचालन के लिए, एक एजेंसी के साथ अनुबन्ध (सितम्बर 2021) किया। एजेंसी

---

[14] भारत संचार निगम लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय।

[15] बिहार जल बोर्ड, पटना नगर निगम, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पथ परिवहन प्राधिकरण, श्रम विभाग, बिहार अग्निशमन एवं आपात सेवाएँ, राजस्व सेवाएँ, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार दुग्ध विकास सहकारी संघ, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रॉन), बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार आरक्षी विभाग, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड तथा विविध विभाग।

[16] उपयुक्त अनुप्रयोग विकसित कर तथा वास्तविक समय के आधार पर डेटाबेस बनाए रखकर, संबंधित विभागों की सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए।

[17] महाबौध जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केन्द्र।

द्वारा प्रति जन सेवा केन्द्र, प्रति माह, एकत्रित सेवा शुल्क से उत्पन्न कुल सकल राजस्व का एक तिहाई तथा ₹ 5,000 का निश्चित किराया दिया जाना था। एजेंसी द्वारा इन जन सेवा केन्द्रों में, प्रदान की गई सेवाओं के लेनदेन पर शुल्क लगाकर, नागरिकों को सरकारी सेवाएँ प्रदान की जानी थी। हालाँकि, संबंधित विभागों के साथ समझौता ज्ञापन के अभाव के कारण, ये सेवाएँ नागरिकों को प्रदान नहीं की जा रही थीं तथा एजेंसी न तो किराया और न ही पी0एस0सी0एल0 के राजस्व के हिस्से का भुगतान कर रही थी।

इस प्रकार, पी0एस0सी0एल0 की त्रुटिपूर्ण योजना के कारण, 19 जन सेवा केन्द्रों के निर्माण पर ₹ 7.10 करोड़ का व्यय करने के बाद भी, जन सेवा केन्द्रों के निर्माण का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। अग्रेतर, एजेंसी से किराया/अपने राजस्व का हिस्सा वसूलने में भी पी0एस0सी0एल0 विफल रही थी।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2023) कि, 19 जन सेवा केन्द्रों का निर्माण पूर्ण हो चुका था तथा दो स्थानों पर कार्य प्रगति पर था एवं सात स्थानों पर, भूमि की अनुपलब्धता और अन्य मुद्दों के कारण, कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया था। अग्रेतर यह कहा गया कि, प्रारंभिक अवधि के लिए, संचालक द्वारा सामना की जाने वाली आरंभिक कठिनाइयों को देखते हुए, माँग प्रस्तुत नहीं की गई थी। हालाँकि, सभी चलंत परियोजनाओं में राजस्व प्रतिमान का सूत्रपात कर, पी0एस0सी0एल0 स्व–सतत बनने का प्रयास कर रहा था। किराये से आय एवं राजस्व हिस्सेदारी के लिए ₹ 7.14 लाख की राशि के बीजक तैयार किए गए थे तथा जन सेवा केन्द्रों से अर्जित आय के तहत दर्ज किये गये थे।

पी0एस0सी0एल0 के जवाब से यह स्पष्ट है कि, जन सेवा केन्द्रों के निर्माण तथा नागरिकों को जन सेवा केन्द्रों की वांछित सेवाएँ प्रदान करने में अनुचित विलम्ब हुई थी। अग्रेतर, उत्पन्न बीजक के विरूद्ध राशि की वसूली अभी भी की जानी थी।

8.1.8.2 एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र के निर्माण के लिए, मोबिलाइजेशन अग्रिम जारी करने पर, ₹ 11.19 करोड़ की राशि का अवरूद्ध हो जाना

एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र (आई0सी0सी0सी0) की परिकल्पना शहर के लिए सभी प्रौद्योगिकी पहलों के केन्द्र के रूप में की गई थी। सभी प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, यथा निगरानी कैमरा फीड, ठोस अपशिष्ट संग्रह आँकड़ा, शहरी उपयोगिता मानचित्र, यातायात आँकड़े, पार्किंग उपलब्धता, इत्यादि को आई0सी0सी0सी0 में एकीकृत किया जाना था।

शहर में आम जन तथा वाहनों के आवागमन पर निगरानी रखने तथा आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पी0एस0सी0एल0 ने 'एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र–आंकड़ा केन्द्र एवं अन्य एकीकृत स्मार्ट साधनों की आपूर्ति तथा कार्यान्वयन' के लिए एक निविदा (जून 2018) आमंत्रित की। मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (टी0पी0एल0) ने सबसे कम ₹ 458.18 करोड़ की बोली लगाई, जो उपलब्ध धनराशि (₹ 215.90 करोड़) से ₹ 242.28 करोड़ अधिक थी। समझौता वार्ता के बाद, मेसर्स टी0पी0एल0 को अनुबन्ध आवंटित (फरवरी 2019) कर दिया गया। मेसर्स टी0पी0एल0 के साथ, ₹ 313.44 करोड़ की लागत पर, एक अनुबन्ध किया गया (अप्रैल 2019), तथा इसे ₹ 11.19 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम (एम0ए0) दिया गया (अप्रैल 2019)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि :

(i) पी0एस0सी0एल0 ने, एम0ए0 जारी करते समय, विस्तृत स्थल सर्वेक्षण प्रतिवेदन, हार्डवेयर परिनियोजन योजना, विस्तृत परियोजना की योजना, सूचना सुरक्षा और संचालन प्रबंधन योजना के कार्य को अंतिम रूप नहीं दिया था। अग्रेतर, एम0ए0 जारी करने के बाद, पी0एस0सी0एल0 ने कुछ कार्यों को परियोजना के कार्यक्षेत्र में शामिल किया यथा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदनों को पहले से शुरू करना एवं नदी किनारे सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापन कार्य। हालाँकि, यह क्रियान्वित नहीं हो सका, क्योंकि मेसर्स टी0पी0एल0 ने मूल उपकरण निर्माता (ओ0ई0एम0)[18] में बदलाव, मात्रा में कमी तथा कार्यक्षेत्र को अनुकूल करने का अनुरोध (जुलाई 2019) किया।

(ii) मेसर्स टी0पी0एल0 के अनुरोध पर पी0एस0सी0एल0 सहमत नहीं हुआ तथा परियोजना के क्रियान्वयन पर रोक (सितम्बर 2019) लगा दी। पी0एस0सी0एल0 द्वारा परियोजना रोके जाने पर, मेसर्स टी0पी0एल0 ने निष्क्रियता शुल्क तथा अन्य निर्धारित शुल्कों के सम्बन्ध में ₹ 23.07 करोड़ का माँग/दावा किया (अक्टूबर 2019)। दावा राशि प्राप्त न होने के बाद, इसके द्वारा अनुबंध को समाप्त करने का नोटिस दिया (फरवरी 2020) गया तथा जब तक कि मामले का निर्णय मध्यस्थ द्वारा नहीं कर दिया जाता, पी0एस0सी0एल0 द्वारा कोई प्रतिरोधात्मक कार्रवायी नहीं किए जाने हेतु, माननीय उच्च न्यायालय, पटना, के समक्ष एक याचिका दायर (फरवरी 2020) की। उच्चाधिकार परिचालन समिति की अनुशंसा (मार्च 2020) पर, पी0एस0सी0एल0 ने अनुबंध समाप्त (मार्च 2020) कर दिया।

(iii) मामले को मध्यस्थ के पास ले जाया गया तथा आपसी सुलह के माध्यम से पी0एस0सी0एल0 एवं मेसर्स टी0पी0एल0 के मध्य इसका निपटारा किया (जून 2021) गया। समझौते में, यह निर्णय लिया गया कि पी0एस0सी0एल0 मोबिलाइजेशन बैंक गारंटी वापस कर देगा तथा मेसर्स टी0पी0एल0 एम0ए0 वापस कर देंगे। तदनुसार, मेसर्स टी0पी0एल0 ने ₹ 11.19 करोड़ की एम0ए0 की राशि पी0एस0सी0एल0 को वापस कर (जुलाई 2021) दी।

कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप दिए बिना मोबिलाइजेशन अग्रिम जारी करने से कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़[19] के ब्याज की परिणामी हानि के साथ, 26 महीनों के लिए, ₹ 11.19 करोड़ का एम0ए0, अवरूद्ध हो गया।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2023) कि मेसर्स टी0पी0एल0 को दी गई ₹ 11.19 करोड़ की अग्रिम राशि, वसूल कर ली गई है और कोई मुकदमा अस्तित्व में नहीं है। हालाँकि, तथ्य यह है कि कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप दिए बिना एम0ए0 प्रदान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 26 माह के लिए ₹ 11.19 करोड़ की राशि का एम0ए0 अवरूद्ध रहा तथा पी0एस0सी0एल0 को ₹ 1.55 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

8.1.8.3 छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों के इच्छित उद्देश्यों की आंशिक उपलब्धि

पटना नगर निगम क्षेत्र में, विभिन्न सरकारी भवनों के छत पर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए, पी0एस0सी0एल0 तथा बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (ब्रेडा) के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किया (जून 2019) गया। इस कार्य

[18] 'मूल उपकरण निर्माता' वह कम्पनी है जिसकी सामग्रियों का उपयोग किसी अन्य कम्पनी के उत्पादों में घटकों के रूप में किया जाता है।

[19] ब्याज की गणना तिमाही आधार पर चक्रवृद्धित, 6.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर के आधार पर की गई है।

के क्रियान्वयन के लिए, ब्रेडा, पी0एस0सी0एल0 एवं अन्य एजेंसियों[20] के मध्य, एक त्रिपक्षीय समझौता निष्पादित किया (अगस्त 2019) गया। छत पर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों के अधिष्ठापन के लिए, ब्रेडा को 42 भवनों की एक सूची प्रदान की गई थी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि : (i) स्थल सर्वेक्षण के आधार पर, केवल 20 भवनों को अधिष्ठापन के लिए चिह्नित किया गया था (ii) केवल 19 भवनों के छत पर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों का अधिष्ठापन किया गया था (अगस्त 2022)। (iii) कार्यक्षेत्र के अनुसार, छत पर ग्रिड से जुड़े सभी ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड से जोड़ा जाना था तथा नेट मीटरिंग[21] की जानी थी। हालाँकि, अधिष्ठापित संयंत्र ग्रिड से नहीं जुड़े थे तथा, इसलिए, नेट मीटर भी अधिष्ठापित नहीं किए गए थे।

छत पर ग्रिड से जुड़े ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड से नहीं जोड़ने तथा नेट मीटरिंग का अधिष्ठापन नहीं करने के परिणामस्वरूप वांछित उद्देश्यों की आंशिक पूर्ति हुई।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2023 की) कि, चूँकि परियोजना सरकारी भवनों के लिए क्रियान्वित की गई थी, इसलिए नेट मीटरिंग प्रदान नहीं की गई थी। हालाँकि, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाव दिया गया, इस परियोजना में राजस्व प्रतिमान का पता लगाने का निर्देश परियोजना डिजाइन प्रबंधन सलाहकार को दिया गया था।

प्रबंधन का जवाब तथ्यों के अनुरूप नहीं था, क्योंकि पी0एस0सी0एल0, ब्रेडा तथा संबंधित एजेंसियों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के कार्यक्षेत्र में नेट मीटरिंग को शामिल किया गया था।

8.1.9 वित्तीय प्रबंधन

बिहार सरकार के संकल्प (अक्टूबर 2017) के अनुसार, पटना स्मार्ट सिटी मिशन के लिए, ₹ 2,776.16 करोड़ की निधियों के अंतर्प्रवाह के लिए, संसाधन योजना, **तालिका 8.1.2** में दर्शायी गई है। हालाँकि, अभिसरण और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) के माध्यम से संसाधन जुटाने में, पी0एस0सी0एल0 की असमर्थता को देखते हुए, स्मार्ट सिटी प्रस्तावों (एस0सी0पी0) में संशोधन किया (नवम्बर 2022) गया तथा इन्हें ₹ 980 करोड़ (₹ 50 करोड़ की ए0 एण्ड ओ0ई0 सहित) की 29 परियोजनाओं तक सीमित कर दिया गया, जिसे भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाना था।

तालिका 8.1.2
पटना स्मार्ट सिटी मिशन के लिए निधियों के अंतर्प्रवाह की योजना

(₹ करोड़ में)

निधियों का स्रोत	वास्तविक आवंटन	संशोधित आवंटन	वास्तविक प्राप्ति
स्मार्ट सिटी परियोजना निधियाँ (केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य समान रूप से वहन किया जाएगा)	930.00	930.00 **(ए0 एण्ड ओ0ई राशि को छोड़कर)**	382.50
अभिसरण से निधियाँ	982.31	0.00	-
सी0एस0आर0 एवं अन्य संसाधनों से निधियाँ	63.48	-	-
पी0पी0पी0 से निधियाँ	800.37	-	-
कुल मिशन निधियाँ	**2,776.16**	**930.00**	**382.50**

[20] मेसर्स वी0आर0जी0 एनर्जी एक्सपर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स ग्रीनसोल रिन्यूएबल पावर प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स मित्तल मशीन्स लिमिटेड, मेसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड तथा मेसर्स एक्सप्रेशन बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड।

[21] एक तंत्र, जो सौर पैनलों का उपयोग कर स्वयं की बिजली उत्पन्न करने वाले उपयोगकर्ताओं को, अपनी ऊर्जा के आधिक्य को ग्रिड में वापस भेजने की अनुमति देता है।

निधियों का स्रोत	वास्तविक आवंटन	संशोधित आवंटन	वास्तविक प्राप्ति
गृह विभाग, बिहार सरकार	-	-	**49.36**
अप्रयुक्त मिशन निधियों पर अर्जित ब्याज	-	-	**24.02**
कुल उपलब्ध निधियाँ			**455.88**

(स्रोत : पी0एस0सी0एल0 द्वारा दी गई जानकारी)

पी0एस0सी0एल0 ने अगस्त 2022 तक, ₹ 455.88 करोड़[22] की उपलब्ध निधि में से केवल ₹ 132.51 करोड़ (29 प्रतिशत) व्यय किया था, जैसा कि **परिशिष्ट 8.4** में वर्णित है। खराब वित्तीय प्रगति के कारण एस0सी0पी0 में बार–बार होने वाले परिवर्तन; कार्यों के आवंटन पश्चात् तथा क्रियान्वयन के दौरान, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन; भूमि की उपलब्धता के बिना कार्य का आवंटन एवं संबंधित विभागों से एन0ओ0सी0 प्राप्त करने में पी0एस0सी0एल0 की विफलता थे।

8.1.9.1 निधियों का वर्द्धित उपयोग

स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों की कंडिका 12.3 में कहा गया है कि संतोषजनक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, जैसा की उपयोगिता प्रमाणपत्र में दर्शाया गया है, के पश्चात्, विशेष प्रयोजन संस्थान (एस0पी0वी0) को निधियों की वार्षिक किस्तें निर्गत की जाएँगी। यह देखा गया कि पी0एस0सी0एल0 ने नगर विकास एवं आवास विभाग को, ₹ 272.30 करोड़ का व्यय दर्शाते हुए, उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत (अगस्त 2022 तक) किया था, जबकि उसी अवधि के लिए, विभिन्न परियोजनाओं पर, पी0एस0सी0एल0 द्वारा किया गया कुल व्यय, मात्र ₹ 158.35 करोड़ (परियोजनाओं पर ₹ 132.51 करोड़ तथा ए0 एण्ड ओ0ई0 पर ₹ 25.84 करोड़) था। इस प्रकार, वास्तविक व्यय एवं विभाग को प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र के मध्य ₹ 113.95 करोड़ का अन्तर था। चूँकि, पी0एस0सी0एल0 द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र में परियोजना–वार निधियों के उपयोग का विवरण नहीं था, लेखापरीक्षा निधियों का वर्द्धित उपयोग दर्शाते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया जा सका, जो वास्तव में वहन किए गए व्यय बीजक से कहीं अधिक था।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2023) कि अप्रयुक्त निधियों का उपयोग तब किया जाएगा, जब चल रही परियोजनाओं के लिए लम्बित बीजक स्वीकृत हो जाएँगे तथा आगामी उपयोगिता प्रमाणपत्रों में प्रतिबिंबित किये जाएँगे।

8.1.9.2 मधुबनी चित्रकारी से संबंधित कार्य पर निधियों का विचलन

पी0एस0सी0एल0 ने, पटना शहर में, मधुबनी चित्रकारी से संबंधित कार्य के लिए, एक निविदा आमंत्रित (दिसम्बर 2018) की। कार्य का क्षेत्र एक स्वच्छता अभियान था, जिसके अन्तर्गत शहर के मुख्य चौक तथा चौराहों सहित प्रमुख अपशिष्ट संवेदनशील बिदुओं को लक्षित किया जाना था और सौंदर्यपूर्ण नया रूप देने के लिए पुनर्विकास किया जाना था। विभिन्न एजेंसियों को क्रियान्वयन हेतु कार्य का आवंटन किया गया था। पी0एस0सी0एल0 ने, अपने निदेशक मंडल की 10वीं बैठक (अगस्त 2019) में कार्य की समीक्षा की तथा यह संज्ञान किया कि यह कार्य स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के कार्यक्षेत्र से बाहर था एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की स्वीकृति के बिना शामिल किया

[22] ₹ 382.50 करोड़ + ₹ 49.36 करोड़ + ₹ 24.02 करोड़।

गया था तथा इसलिए, परियोजना का क्रियान्वयन रोक दिया। पी0एस0सी0एल0 द्वारा, क्रियान्वयन एजेंसी को, उनके द्वारा निष्पादित कार्यों हेतु, ₹ 12.36 करोड़ का कुल भुगतान (मार्च 2020 तक) किया गया।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, पटना पुराने संग्रहालय एवं पटना नगर निगम के कार्यालय की चारदीवारी पर की गई पेंटिंग की ली गई चित्रों को, ***चित्र 1 एवं 2*** में दर्शाया गया है।

चित्र 1 : पटना पुराने संग्रहालय, पटना की चारदीवारी पर किया गया मधुबनी पेंटिंग का कार्य (नवम्बर 2023)।

चित्र 2 : नगर निगम, पटना की चारदीवारी पर किया गया मधुबनी पेंटिंग का कार्य (नवम्बर 2023)।

स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देश के कार्यक्षेत्र से बाहर, एक परियोजना का क्रियान्वयन करने के परिणामस्वरूप, ₹ 12.36 करोड़ के अनियमित व्यय के साथ ही, मिशन निधियों का विचलन हुआ।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2023) कि मधुबनी चित्रकारी का कार्य संबंधित एजेंसी/चित्रकारों द्वारा पूर्ण कर लिया गया था। निदेशक मंडल ने, अपनी 10वीं बैठक में, मधुबनी पेंटिंग के संचालन एवं रख–रखाव से संबंधित प्रस्ताव पर रोक लगा दिया था।

प्रबंधन का जवाब गलत था, क्योंकि निदेशक मंडल ने, योजना दिशानिर्देशों के कार्यक्षेत्र से बाहर पाए जाने के कारण, अपनी बैठक में, परियोजना के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।

8.1.10 निगरानी

स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक स्मार्ट सिटी एस0पी0वी0 का नेतृत्व एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी0ई0ओ0) द्वारा करना था। सी0ई0ओ0 को तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिए, नगर विकास एवं आवास विभाग की स्वीकृति से नियुक्त किया जाना था। कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए, एस0पी0वी0 के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को समीक्षा बैठक आयोजित की जानी थी।

अग्रेतर, पी0एस0सी0एल0 ने अपनी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को डिजाइन, विकसित, प्रबंधित और कार्यान्वित करने के लिए, मेसर्स रोडिक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को, 15 माह की अवधि के लिए, परियोजना डिजाइन प्रबंधन सलाहकार (पी0डी0एम0सी0)

के रूप में नियुक्त (फरवरी 2021) किया। अनुबन्ध के अनुसार, पी0डी0एम0सी0 को परामर्श कार्यों के लिए, पाँच प्रमुख पेशेवरों को नियोजित करना था। अनुबन्ध में अग्रेतर निर्दिष्ट किया गया कि, सिवाय इसके कि ''नियोक्ता'' अन्यथा सहमत हो, कार्मिक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कार्मिक की प्रतिस्थापना केवल सेवानिवृत्ति, मृत्यु एवं चिकित्सा अक्षमता के मामलों में किया जाना था तथा समकक्ष अथवा बेहतर योग्यता वाले व्यक्तियों को, सलाहकार द्वारा प्रतिस्थापन प्रदान करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

- एक पूर्णकालिक सी0ई0ओ0 की नियुक्ति फरवरी 2021 में की गई थी।
- यद्यपि समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं, इन बैठकों के कार्यवृत्त का रख–रखाव पी0एस0सी0एल0 द्वारा नहीं किया गया था।
- पी0डी0एम0सी0 की नियुक्ति (मार्च 2021) के बाद से ही, अनुबंध प्रबंधक–सह–क्रय विशेषज्ञ का पद रिक्त था। सितम्बर 2022 तक, वास्तुविद–सह–शहरी योजनाकार, निर्माण प्रबंधक तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) विशेषज्ञ के पद क्रमशः अप्रैल 2021, जून 2021 एवं जनवरी 2022 से रिक्त थे।
- आई0सी0टी0 विशेषज्ञ के मामले में, पी0डी0एम0सी0 द्वारा प्रस्तावित, प्रतिस्थापन की योग्यताएँ, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) में निर्दिष्ट योग्यताओं से अल्पतर थीं। पी0डी0एम0सी0 द्वारा समय–समय पर प्रस्तावित, आई0सी0टी0 विशेषज्ञ की योग्यताएँ, आर0एफ0पी0 में निर्धारित योग्यताओं से मेल नहीं खाती थीं तथा अल्पतर योग्यता वाले व्यक्तियों को नियोजित किया गया था।

इस प्रकार, योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, सी0ई0ओ0 की नियुक्ति तीन वर्ष से अधिक विलम्ब के पश्चात् की गई थी। अग्रेतर, समीक्षा बैठकों के किसी भी कार्यवृत्त के अभाव में, परियोजना की उचित निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, पी0डी0एम0सी0 के प्रमुख पद दीर्घ अवधि तक रिक्त रहे तथा आई0सी0टी0 विशेषज्ञ के पदों पर अल्पतर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2023) कि पी0एस0सी0एल0 ने मेसर्स रोडिक कंसल्टेंट्स को निलंबन का नोटिस दिया (फरवरी 2022) था, जिन्होंने बाद में अतिरिक्त कर्मचारियों को नियोजित किया था एवं कई परियोजनाओं को सुचारू किया था तथा प्रदर्शन में सुधार को ध्यान में रखते हुए, पी0एस0सी0एल0 ने निलंबन रद्द कर दिया (मई 2022) था ।

हालाँकि, प्रबंधन ने, सी0ई0ओ0 की विलम्ब से नियुक्ति के संबंध में, कोई जवाब नहीं दिया। अग्रेतर, पी0एस0सी0एल0 द्वारा उचित निगरानी के अभाव एवं फर्म द्वारा, दीर्घ अवधि के लिए, कार्मिकों के अनियोजन से, परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति प्रभावित हुई होगी। प्रबंधन के जवाब से, यह स्पष्ट है कि पी0डी0एम0सी0 अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रही थी, जिसके परिणामस्वरूप पी0एस0सी0एल0 द्वारा इसे निलम्बित कर दिया गया था।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड तथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

8.2 विचलन के कारण अतिरिक्त शुल्क का भुगतान

बिजली का पूर्वानुमान लगाने एवं सी0ई0आर0सी0 विनियमन 2014, के अनुसार बिजली के आहरण को सीमित करने में विफलता के कारण, वितरण कम्पनियों ने, विचलन के लिए, ₹ 181.13 करोड़ के अतिरिक्त शुल्क का वहन किया।

वाणिज्यिक तंत्र के माध्यम से, ग्रिड अनुशासन और ग्रिड सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से, केन्द्रिय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र एवं सम्बन्धित मामले) विनियमन, 2014, निर्गत (जनवरी 2014) किया गया।

विनियमन 7 (1) जो अन्य बातों के साथ यह निर्दिष्ट करता है कि किसी भी क्रेता द्वारा एक समयावधि[23] में बिजली का अधिक आहरण/कम आहरण, अपने निर्धारित आहरण के 12 प्रतिशत या 150 मेगावाट, दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए, जब ग्रिड की आवृति 49.85 हर्ट्ज और अधिक हो तथा 50.05 हर्ट्ज[24] से कम हो। अग्रेतर, विनियमन 7 (3) निर्दिष्ट करता है कि निर्धारित सीमा से विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क, निर्दिष्ट दरों पर, प्रत्येक समयावधि के लिए, निर्दिष्ट वॉल्यूम सीमा से बिजली के अधिक आहरण पर लागू होंगे।

अग्रेतर, केन्द्रिय विद्युत विनियामक आयोग (सी0ई0आर0सी0) ने अपने प्रधान विनियमन के विनियमन 7 के खंड (10) में संशोधन[25] किया, जो अन्य बातों के साथ यह निर्दिष्ट करता है कि ''मार्च 2020 तक, किसी भी क्षेत्रीय इकाई (क्रेता या विक्रेता) द्वारा 12 समयावधियों के लिए एक दिशा (सकारात्मक[26] या नकारात्मक[27]) में अनुसूची से निरंतर विचलन की स्थिति में, विचलन निपटान तंत्र (डी0एस0एम0) शुल्क[28] देय या प्राप्य जैसा भी मामला हो, समयावधि के 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लागू होगा। संबंधित खण्ड में कहा गया है कि, अप्रैल 2020 से, उक्त संशोधन के खण्ड 4.5 (बी) में निर्दिष्ट अनुसार, किसी भी क्षेत्रीय इकाई (क्रेता या विक्रेता) द्वारा छः समयावधियों के लिए एक दिशा (सकारात्मक या नकारात्मक) में अनुसूची से निरंतर विचलन की स्थिति में, तीन प्रतिशत से लेकर समयावधि का 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लागू होगा।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) ने बी0ई0आर0सी0–मल्टी इयर डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ रेगुलेशन, 2018, निर्गत किया (अगस्त 2018) जिसमें यह स्पष्ट किया गया है {रेगुलेशन 20.2(4)} कि विचलन के कारण उच्च दर पर ऊर्जा खरीदने के कारण, वृद्धिशील ऊर्जा खरीद की लागत को, आयोग द्वारा तभी स्वीकृत किया जाएगा, जब यह आयोग की संतुष्टि में तर्कसंगत हो। अग्रेतर, विनियमन 20.2(5) यह स्पष्ट करता है कि

---

[23] एक समयावधि 15 मिनट के बराबर है।

[24] सी0ई0आर0सी0 (विचलन निपटान तंत्र और सम्बन्धित मामले) (चतुर्थ संशोधन) विनियमन, 2018 (01 जनवरी 2019 से लागू) के अनुसार।

[25] पंचम संशोधन दिनांक 28 मई 2019, 03 जून 2019 से लागू।

[26] आहरण अनुसूची के विरूद्ध अधिक आहरण।

[27] आहरण अनुसूची के विरूद्ध कम आहरण।

[28] डी0एस0एम0 शुल्क ग्रिड संतुलन/तंत्र को बनाए रखने के लिए क्रेता/विक्रेता या उत्पादक/वितरण लाइसेंसधारी दोनों पर लगाया जाने वाला एक शुल्क है।

लाइसेंस धारक के द्वारा, अर्थ दंड देने के कारण, बिजली खरीद की लागत में हुई वृद्धि की, स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

डिस्कॉम्स[29] के अभिलेखों (दिसम्बर 2022) की जाँच से पता चला किः

- डिस्कॉम्स एवं पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र से परामर्श कर एवं ऊर्जा के सभी स्रोतों अर्थात् केन्द्रीय प्रक्षेत्र आवंटन, दीर्घावधि, मध्यावधि तथा अल्पावधि ऊर्जा खरीद समझौते, द्विपक्षीय तथा सामूहिक लेन देन इत्यादि, को सम्मिलित करते हुए, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आने वाले दिन प्रबंधन के आधार पर, ऊर्जा के आहरण के लिए, आहरण अनुसूची तैयार करता है। इसलिए, किसी भी तरह के दंडात्मक शुल्क के भुगतान से बचने के लिए, ऊर्जा का आहरण इस तरह से विनियमित किया जाना था जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निर्धारित और वास्तविक ऊर्जा आहरण के बीच हुए विचलन अनुमत्य सीमा के अन्दर रहे। हालाँकि, डिस्कॉम्स अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, ऊर्जा आहरण का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहे तथा बिजली के आहरण की निर्धारित सीमा से लगातार अधिक विचलन करते रहे, जिसके फलस्वरूप डिस्कॉम्स द्वारा, अतिरिक्त विचलन शुल्क (वॉल्यूम)[30] के रूप में ₹ 105.22 करोड़ (वित्त वर्ष 2019–20 में ₹ 32.08 करोड़[31], वित्त वर्ष 2020–21 में ₹ 33.56 करोड़[32] एवं वित्त वर्ष 2021–22 में ₹ 39.58 करोड़[33]) का भुगतान करना पड़ा।

  इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, विनियमन के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सीमा के अनुसार, सकारात्मक से नकारात्मक अथवा इसके विपरीत, आहरण[34] के चिह्न (साइन) को बदलने में बार–बार असफल रहे, जिसके कारण अतिरिक्त विचलन शुल्क (साइन)[35] के रूप में ₹ 75.91 करोड़ (वित्त वर्ष 2019–20 में ₹ 5.23 करोड़[36], वित्त वर्ष 2020–21 में ₹ 21.63 करोड़[37] तथा वित्त वर्ष 2021–22 में ₹ 49.05 करोड़[38]) का वहन किया गया।

- बी0ई0आर0सी0 द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए अतिरिक्त विचलन शुल्क (वॉल्यूम) और अतिरिक्त विचलन शुल्क (साइन) के रूप में, ₹ 92.50 करोड़ की

---

[29] नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) एवं साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0)।

[30] अतिरिक्त विचलन शुल्क (वॉल्यूम) क्रेता पर अनुमत्य सीमा से परे बिजली के कम आहरण/अधिक आहरण के लिए लगाया जाने वाला शुल्क है।

[31] एस0बी0पी0डी0सी0एल0: ₹ 32.08 करोड़ का 55.50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 17.80 करोड़;
एन0बी0पी0डी0सी0एल0: ₹ 32.08 करोड़ का 44.50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 14.28 करोड़।

[32] एस0बी0पी0डी0सी0एल0: ₹ 33.56 करोड़ का 54.99 प्रतिशत अर्थात् ₹ 18.45 करोड़;
एन0बी0पी0डी0सी0एल0: ₹ 33.56 करोड़ का 45.01 प्रतिशत अर्थात् ₹ 15.11 करोड़।

[33] एस0बी0पी0डी0सी0एल0: ₹ 39.58 करोड़ का 54.00 प्रतिशत अर्थात् ₹ 21.37 करोड़;
एन0बी0पी0डी0सी0एल0: ₹ 39.58 करोड़ का 46.00 प्रतिशत अर्थात् ₹ 18.21 करोड़।

[34] शब्द ''आहरण का चिह्न (साइन)'' बिजली के आहरण की दिशा को दर्शाता है अर्थात् अधिक आहरण (सकारात्मक) या कम आहरण (नकारात्मक)।

[35] अतिरिक्त विचलन शुल्क (साइन) विनियमन के अन्तर्गत क्रेता पर विनिर्दिष्ट समयावधि में बिजली के आहरण की दिशा को सकारात्मक से नकारात्मक या इसके विपरीत नहीं बदलने के लिए लगाया जाने वाला शुल्क है।

[36] एस0बी0पी0डी0सी0एल0 : ₹ 5.23 करोड़ का 55.50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 2.90 करोड़;
एन0बी0पी0डी0सी0एल0 : ₹ 5.23 करोड़ का 44.50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 2.33 करोड़।

[37] एस0बी0पी0डी0सी0एल0 : ₹ 21.63 करोड़ का 54.99 प्रतिशत अर्थात् ₹ 11.89 करोड़;
एन0बी0पी0डी0सी0एल0 : ₹ 21.63 करोड़ का 45.01 प्रतिशत अर्थात् ₹ 9.74 करोड़।

[38] एस0बी0पी0डी0सी0एल0 : ₹ 49.05 करोड़ का 54.00 प्रतिशत अर्थात् ₹ 26.49 करोड़;
एन0बी0पी0डी0सी0एल0 : ₹ 49.05 करोड़ का 46.00 प्रतिशत अर्थात् ₹ 22.56 करोड़।

राशि को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि सी0ई0आर0सी0 (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियमों के अनुसार, निर्दिष्ट सीमा से परे ऊर्जा का अधिक आहरण तथा चिह्न (साइन) में परिवर्तन के उल्लंघन के कारण, उक्त शुल्क का अधिरोपण किया गया था।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, डिस्कॉम्स द्वारा अतिरिक्त विचलन शुल्क (वॉल्यूम और साइन) के रूप में, व्यय किए गए ₹ 88.63 करोड़ की राशि पर, अभी तक बी0ई0आर0सी0 द्वारा विचार नहीं किया गया था।

अतः, डिस्कॉम्स द्वारा बिजली का पूर्वानुमान लगाने एवं सी0ई0आर0सी0 विनियमन, 2014 (पंचम संशोधन) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा के अंदर बिजली के आहरण को सीमित रखने में विफलता के कारण, इन्हें विचलन के लिए ₹ 181.13 करोड़ (वॉल्यूमः ₹ 105.22 करोड़ तथा साइनः ₹ 75.91 करोड़) के अतिरिक्त शुल्क का वहन करना पड़ा।

ऊर्जा विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि, अनुमानित माँग का आकलन करते समय, सभी उपभोक्ताओं के अपेक्षित व्यवहार, बिजली की उपलब्धता, प्रणाली/नेटवर्क की उपलब्धता, पूरे राज्य के लिए पूर्वानुमानित मौसम, नेपाल द्वारा अपेक्षित आहरण इत्यादि, को ध्यान में रख गया था। हालाँकि, विभिन्न उपभोक्ता व्यवहार, बिजली/प्रणाली/नेटवर्क उपलब्धता में बदलाव, पूर्वानुमानित मौसम परिस्थितियों में बेमेल और उसके बाद के प्रभाव आदि जैसे विभिन्न कारणों से इनपुट पैरामीटर मे बदलाव संभव था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योकि माँग का पूर्वानुमान लगाते समय उपरोक्त सभी कारकों को ध्यान में रखने के बाद भी, डिस्कॉम्स द्वारा अतिरिक्त विचलन शुल्क का वहन किया गया था। इसके अतिरिक्त, बी0ई0आर0सी0 द्वारा कहा गया था (वित्त वर्ष 2019–20 से 2020–21 के लिए टैरिफ आदेश) कि विचलन के कारण किसी भी अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए, कम आहरण/अधिक आहरण निश्चित रूप से विनिर्दिष्ट सीमा के अन्दर होनी चाहिए।

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

8.3 अनुदान की हानि

पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण, कम्पनी को ₹ 97.54 करोड़ के अनुदान की हानि हुई।

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा, सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के ऊर्जा विभागों को, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी0जी0सी0आई0एल0) द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुरूप, उप–स्टेशनों के लिए, विश्वसनीय संचार प्रणाली[39] स्थापित करने के लिए कहा गया (03 अक्टूबर 2016)। विश्वसनीय संचार प्रणाली के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0), विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्गत (सितम्बर 2014), पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पी0एस0डी0एफ0) दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्मित और प्रसंस्कृत की जानी थी तथा नोडल एजेंसी (नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर) को प्रस्तुत की जानी थी।

[39] ग्रिड प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन तथा नई तकनीकी आवश्यकताओं हेतु आँकड़ों एवं ध्वनि आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विश्वसनीय संचार प्रणाली, एक वाइडबैंड संचार प्रणाली है।

यह योजना राज्यों द्वारा शुरू की जानी थी, जिसमें 30 प्रतिशत का योगदान पी0एस0डी0एफ0 सहायता से तथा शेष 70 प्रतिशत का योगदान राज्यों द्वारा, अपने संसाधनों से, अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए किया जाना था। हालाँकि, विश्वसनीय संचार प्रणाली, पी0एस0डी0एफ0 दिशानिर्देशों की श्रेणी 5.1 (सी) के अंतर्गत आती है, जिसमें वित्त पोषण का स्वरूप {पैरा 6.3 (ii)} यह निर्धारित करता है कि पी0एस0डी0एफ0 में निधियों की उपलब्धता के अनुसार, परियोजना लागत प्राक्कलन के लिए अनुदान की मात्रा परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होनी थी। डी0पी0आर0 प्रस्तुत करने का दिशानिर्देश यह निर्दिष्ट करता है कि योजना की स्वीकृति के पश्चात् ही कार्य आवंटन पत्र प्रदान किया जाना चाहिए।

ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार द्वारा, इस योजना की सूचना बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) को दी (25 अक्टूबर 2016) गयी थी।

अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2021 और दिसम्बर 2022) से पता चला कि कम्पनी ने, 132 के0वी0 तक के उप–स्टेशनों के लिए, विश्वसनीय संचार एवं आँकड़ा अधिग्रहण प्रणाली हेतु ₹ 195.07 करोड़ की प्राक्कलित राशि की डी0पी0आर0 तैयार (मई 2018) किया। बिहार सरकार द्वारा अंश पूँजी के रूप में, 20 प्रतिशत वित्त पोषण, तथा राज्य सरकार की गारंटी पर, वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से 80 प्रतिशत वित्त पोषण के सुझाव के साथ, प्रस्ताव को ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को भेजा (मई 2018) गया। बिहार सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को अनुमोदित (11 जुलाई 2018) किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदनोपरांत, कम्पनी ने पी0एस0डी0एफ0 से 50 प्रतिशत[40] अनुदान, अर्थात् ₹ 97.54 करोड़ प्राप्त करने हेतु एक नया प्रस्ताव आरंभ (13 जुलाई 2018) किया। कम्पनी ने इस प्रस्ताव को, इसकी स्वीकृति एवं निधियों के अनुदान हेतु, नोडल एजेंसी को भेजा (सितम्बर 2018)।

इस दौरान, कम्पनी ने राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना के अनुसार निविदा आमंत्रित (अगस्त 2018) की तथा ₹ 124.75 करोड़ (₹ 85.06 करोड़ आपूर्ति के लिए एवं ₹ 39.69 करोड़ सेवाओं के लिए) की लागत पर कार्य आवंटित (जनवरी 2019) कर दिया। 31 मार्च 2023 तक, कम्पनी द्वारा कुल ₹ 103.09 करोड़[41] का व्यय किया गया था। अग्रेतर, कम्पनी द्वारा लिए गए ₹ 82.47 करोड़ (जून 2019 से मार्च 2023 के दौरान) के ऋण पर ₹ 16.56 करोड़[42] के ब्याज की हानि भी वहन करनी पड़ी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया किः

- पी0एस0डी0एफ0 दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना की व्याप्ति एवं वित्त पोषण पी0एस0डी0एफ0 सहायता के अन्तर्गत उपलब्ध थी। हालाँकि, पी0एस0डी0एफ0 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अर्थात् पी0एस0डी0एफ0 के अन्तर्गत योजना के लिए अनुदान की उपलब्धता पर विचार किए बिना, कम्पनी के प्रस्ताव के आधार पर, बिहार सरकार द्वारा अंश पूँजी के रूप में 20 प्रतिशत एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से 80 प्रतिशत वित्त पोषण के स्वरूप के साथ योजना की स्वीकृति दी गई।

---

[40] पी0एस0डी0एफ0 निगरानी समिति द्वारा अनुदान की यह मात्रा, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड आदि को अनुमोदित (मई 2018) की गई थी।

[41] इसमें 20 प्रतिशत अर्थात् ₹ 20.62 करोड़ अंश पूँजी तथा 80 प्रतिशत अर्थात् ₹ 82.47 करोड़ ऋण शामिल है।

[42] ब्याज दरः 7.40 प्रतिशत प्रति वर्ष।

- पी0एस0डी0एफ0 दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना की स्वीकृति से पूर्व, आवंटित किए गए कार्यों के लिए पी0एस0डी0एफ0 अनुदान नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि, कम्पनी ने योजना की स्वीकृति तथा अनुदान के लिए नोडल एजेंसी को एक प्रस्ताव भेजा (सितम्बर 2018) था, लेकिन उसने योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, अंतिम स्वीकृति की प्रतिक्षा किए बिना ही कार्यादेश आवंटित कर दिया। इसके कारण, नोडल एजेंसी ने प्रस्ताव को निधियों के अनुदान के लिए योग्य नहीं पाया (मार्च 2020)।

अतः, पी0एस0डी0एफ0 दिशानिर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ₹ 97.54 करोड़ के अनुदान की हानि हुई। अग्रेतर, पी0एस0डी0एफ0 से अनुदान न लेने के परिणामस्वरूप, ₹ 82.47 करोड़ के ऋण पर, ₹ 16.56 करोड़ के ब्याज का अनुचित भार भी पड़ा।

प्रबंधन ने, अपने जवाब में कहा (फरवरी 2023) कि, 70 प्रतिशत सापेक्ष वित्त पोषण के अभाव में, बिहार सरकार की एकमात्र उपलब्ध वित्तपोषण सुविधा पर विश्वास किया गया तथा डी0पी0आर0 को अनुमोदन हेतु भेजा गया। बिहार सरकार से अनुमोदनोपरांत, कम्पनी ने अनुदान स्वीकृत करने हेतु पी0एस0डी0एफ0 समिति से अनुरोध किया गया (अक्टूबर 2018) तथा अनुदान की स्वीकृति की प्रत्याशा में, कार्य के लिए निविदा जारी की गई। निविदा का आवंटन अंतिम चरण में रहने के कारण, कम्पनी ने अनुदान की स्वीकृति हेतु पी0एस0डी0एफ0 समिति से पुनः अनुरोध किया (जनवरी 2019)। चूँकि, उस समय तक पी0एस0डी0एफ0 से वित्त पोषण की स्थिति स्पष्ट नहीं थी तथा ग्रिड के सुचारू संचालन के लिए कार्य तत्काल शुरू करना आवश्यक था, इसलिए कार्य आवंटन का मुद्दा निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया एवं निदेशक मण्डल द्वारा इसकी अनुमति दी (जनवरी 2019) गई।

प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योकि शुरूआत में परियोजना लागत का केवल 70 प्रतिशत बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाना था और शेष 30 प्रतिशत पी0एस0डी0एफ0 सहायता (अक्टूबर 2016) के तहत उपलब्ध कराया जाना था, और यह तथ्य किसी भी स्तर पर, बिहार सरकार के संज्ञान में नहीं लाया गया, जिसके कारण राजकोष पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ा। अग्रेतर, कम्पनी ने पी0एस0डी0एफ0 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, योजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यादेश आवंटन पत्र निर्गत कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पी0एस0डी0एफ0 की नोडल एजेंसी द्वारा अनुदान देने से इनकार कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, न तो यह तथ्य कि योजना[43] की स्वीकृति से पूर्व कार्यादेश का आवंटन होने पर पी0एस0डी0एफ0 अनुदान नहीं दिया जा सकता, न ही ग्रिड के सुचारू कामकाज के लिए कार्य की तत्काल आवश्यकता की परिस्थितियों को, कार्यादेश आवंटन की स्वीकृति के समय, निदेशक मण्डल की जानकारी में लाया गया।

[43] डी0पी0आर0 प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश।

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

8.4 परिहार्य व्यय

कम्पनी द्वारा निविदा के अनियमित रूप से अंतिमीकरण करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

बिहार सरकार का एक उपक्रम, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर सामग्री एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) सेवाओं से संबंधित व्यवसायों में लगी हुई है। कम्पनी सरकार की तकनीकी जरूरतों को पूर्ण करती है तथा राज्य सरकार के विभागों एवं एजेंसियों के लिए आई0टी0 परियोजना की संकल्पना और कार्यान्वयन करती है।

कम्पनी के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2022) से पता चला है कि कम्पनी के लिए एक एकीकृत एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ई0आर0पी0) समाधान हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन के लिए, कम्पनी ने निविदा आमंत्रित (नवम्बर 2017) की थी। प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) के अनुसार, बोलीदाता का चयन गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (क्यू0सी0बी0एस0) पद्धति[44] के आधार पर किया जाना था। क्यू0सी0बी0एस0 पद्धति को लागू करने के बाद, कम्पनी ने ₹ 7.96 करोड़ की लागत पर, अनुबन्ध का आवंटन मेसर्स 3i इन्फोटेक लिमिटेड को कर दिया (मार्च 2018)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया किः

- आर0एफ0पी0 के खण्ड 7.2.2 (प्रासंगिक सामर्थ्य के लिए तकनीकी योग्यता मानदंड) के अनुसार, बोलीदाताओं को निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व के पाँच वर्षों के दौरान, उन्हें निर्गत किए गए अधिकतम पाँच कार्यादेश प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। चूँकि बोली जमा करने की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2018 थी, इसलिए 25 जनवरी 2013 तक फर्मों को निर्गत किए गए कार्यादेशों को, इस अनुबंध के लिए विचारित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि मेसर्स 3i इन्फोटेक ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित एक कार्यादेश (एकीकृत कोषागार प्रबंधन प्रणाली) प्रस्तुत किया था, जो 28 मार्च 2012 (निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पाँच वर्ष से अधिक) को निर्गत किया गया था। आर0एफ0पी0 के प्रावधानों के अनुसार, अंक प्रदान करते समय इस कार्यादेश को विचारित नहीं किया जाना था। हालाँकि, मेसर्स 3i इन्फोटेक को 24 अंकों के स्थान पर 30 अंक (प्रत्येक परियोजना के लिए छः अंक, अधिकतम पाँच परियोजनाओं के लिए) प्रदान किए गए।
- आर0एफ0पी0 में अपनाई गई क्यू0सी0बी0एस0 पद्धति के अनुसार, किसी फर्म को आवंटित तकनीकी अंकों को 100 के तकनीकी स्कोर में परिवर्तित नहीं किया जाना था। हालाँकि, आर0एफ0पी0 का उल्लंघन कर, तकनीकी मूल्यांकन के दौरान, 100 के तकनीकी स्कोर को विचारित कर, मेसर्स 3i इन्फोटेक को अंक (97) प्रदान किए गए।

[44] तकनीकी प्रस्ताव को 70 प्रतिशत भारित (वेटेज) किया जाना था एवं वित्तीय प्रस्ताव को 30 प्रतिशत भारित किया जाना था। सबसे कम बोली वाले प्रस्ताव को 100 का वित्तीय स्कोर दिया जाना था तथा अन्य प्रस्तावों को उनकी बोली के विपरीत आनुपातिक वित्तीय स्कोर दिया जाना था। कुल स्कोर, तकनीकी तथा वित्तीय दोनों, गुणवत्ता एवं लागत स्कोर को मूल्यांकित कर तथा उन्हें जोड़कर प्राप्त किया जाना था।

परिणामस्वरूप, मेसर्स 3i इन्फोटेक एवं मेसर्स सी0एस0एम0 टेक्नोलॉजीस (दूसरी सबसे ऊँची बोली लगाने वाली कम्पनी) को आर0एफ0पी0 के प्रावधानों के अनुसार, आवंटित योग्य क्रमशः 86.88 अंक और 90.20 अंकों **(परिशिष्ट 8.5)** के स्थान पर, कुल 93.18[45] अंक और 92.06[46] अंक आवंटित किए गए। यदि निविदा की तकनीकी बोली का नियमित मूल्यांकन किया जाता, तो बोलियों के समग्र मूल्यांकन में, एल–2 समग्र बोलीदाता, 90.20 अंकों के स्कोर के साथ, एल–1 समग्र बोलीदाता बन जाता। हालाँकि, आर0एफ0पी0 के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप मेसर्स सी0एस0एम0 टेक्नोलॉजीस[47] के स्थान पर मेसर्स 3i इन्फोटेक को ₹ 1.81 करोड़ (₹ 7.96 करोड़ – ₹ 6.15 करोड़) की उच्च लागत पर अनुबन्ध का आवंटन किया गया, इसके अतिरिक्त निविदा प्रक्रिया को विकृत किया गया।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा अनियमित रूप से निविदा का अंतिमीकरण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला कम्पनी को प्रतिवेदित (दिसम्बर 2022) किया गया; जवाब प्रतिक्षित (मार्च 2023 तक) था।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

8.5 टीडीएस की वापसी का दावा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप निधियों का अवरूद्ध हो जाना

कम्पनी द्वारा टीडीएस की वापसी का दावा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप, ₹ 6.33 करोड़ की निधि अवरूद्ध हो गई।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 194ए के अनुसार, सावधि जमा पर अर्जित ब्याज आदाता बैंक द्वारा टीडीएस की कटौती (टी0डी0एस0) के अधीन है। आदाता बैंक द्वारा आयकर विभाग को लागू टी0डी0एस0 जमा किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 203 के तहत करदाता संगठन को, इस संबंध में एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। करदाता संगठन द्वारा अपना आयकर विवरणी दाखिल कर, टी0डी0एस0 वापसी[48] का दावा प्रस्तुत किया जाता है।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) सरकार के प्रतिनिधि के रूप में खाद्यान्न की खरीद, परिवहन, संग्रहण, भंडारण एवं वितरण का व्यवसाय करती है। कम्पनी के अभिलेखों की जाँच से पता चला (जुलाई 2021 तथा अक्टूबर 2022) कि कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 से, अपना आयकर विवरणी (आई0टी0आर0) दाखिल नहीं किया था। आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 148 के तहत आयकर विभाग से सूचनाएँ (नोटिस) प्राप्त होने पर, सूचनाओं के जवाब स्वरूप कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 (निर्धारण वर्ष 2016–17 से 2018–19) की आई0टी0आर0 दाखिल (फरवरी 2022–जून 2022) कर, टीडीएस वापसी का दावा किया गया। वित्त वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए आई0टी0आर0 अभी तक दाखिल नहीं की गई थी। अग्रेतर, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए आई0टी0आर0 समय पर (मार्च 2022) दाखिल कर दिया गया था।

---

[45] एल–1 समग्र बोलीदाता।

[46] एल–2 समग्र बोलीदाता।

[47] वित्तीय बोली का मूल्यः ₹ 6.15 करोड़।

[48] आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 139(1), निर्धारित प्रपत्र में पिछले वर्ष के दौरान आय की विवरणी प्रस्तुत करने को निर्देशित करती है।

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2015–16 और 2016–17 हेतु दाखिल विवरणी को प्रसंस्कृत किया (मार्च 2022) तथा निर्धारण आदेश निर्गत किया, जिसमें यह कहा गया कि कराधान हेतु बताए गये आय तथा दावा किए गये व्ययों की यथार्थता, सत्यापित नहीं की जा सकती। तत्पश्चात, कम्पनी ने इस निर्धारण आदेश के विरूद्ध एक अपील दायर (अप्रैल 2022) की।

लेखापरीक्षा ने देखा कि, बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखाओं के अनुसार, कम्पनी ने वित्त वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान, शुद्ध हानि[49] दर्ज की थी। इसी अवधि के दौरान हानि वहन करने के कारण, कम्पनी का संचय एवं अधिशेष भी वित्त वर्ष 2016–17 के (–) ₹ 752.75 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2019–20 में (–) ₹ 946.70 करोड़ हो गये थे। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर यह देखा कि संबंधित बैंकों द्वारा, वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2019–20 की अवधि के लिए, सावधि जमा/अन्य निधियों एवं बिलों के ब्याज पर, टीडीएस के रूप में, ₹ 6.33 करोड़[50] के राशि की कटौती की गई थी तथा आयकर विभाग के पास जमा की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, वित्त वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक कम्पनी लगातार हानि वहन कर रही थी, अतएव, इसकी आयकर देनदारी 'शून्य' थी। 'शून्य' आयकर देनदारी की स्थिति में, आयकर विवरणी के माध्यम से, वापसी का दावा प्रस्तुत कर, आयकर विभाग टीडीएस की राशि वापस कर सकता था। हालाँकि, कम्पनी द्वारा उक्त वर्षों के लिए, अपनी आयकर विवरणी समय पर दाखिल नहीं/विलम्ब से दाखिल (अक्टूबर 2022) की गई थी, जबकि अधिनियम की धारा 139(1) के अन्तर्गत यह आवश्यक था।

प्रबंधन ने अपने जवाब में कहा (मई 2022) कि : (i) लेखाओं के अंतिमीकरण में विलम्ब के कारण आयकर विवरणी दाखिल नहीं की जा सकी (ii) कम्पनी को आयकर विभाग द्वारा धारा 148 के अन्तर्गत, सूचना प्राप्त होने के पश्चात्, वित्त वर्ष 2015–16 से 2017–18 (निर्धारण वर्ष 2016–17 से 2018–19) का आयकर विवरणी दायर कर, टीडीएस की वापसी का दावा किया गया था। (iii) अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात्, वित्त वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 (निर्धारण वर्ष 2019–20 तथा 2020–21) के लिए आयकर विवरणी दायर की जाएगी (iv) प्रश्नगत टीडीएस की राशि वापसी के अधीन थी तथा (v) प्रश्नगत उपरोक्त वर्षों के लिए कम्पनी इस मामले के जल्द समाधान तथा टीडीएस की वापसी हेतु प्रयास कर रही थी।

प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना; निर्धारित समय के भीतर, वार्षिक लेखाओं का अंतिमीकरण करना; तथा समय पर आयकर विवरणी दाखिल सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी थी। हालाँकि,

---

[49] 2016–17: ₹ 249.10 करोड़, 2017–18: ₹ 106.26 करोड़, 2018–19: ₹ 33.63 करोड़ और 2019–20: ₹ 54.05 करोड़।

[50] वित्तीय वर्ष 2015–16: ₹ 1.14 करोड़, 2016–17: ₹ 1.80 करोड़, 2017–18: ₹ 1.04 करोड़, 2018–19: ₹ 1.37 करोड़ और 2019–20: ₹ 0.98 करोड़।

कम्पनी समय पर आयकर विवरणी दाखिल सुनिश्चित करने में विफल रही थी, जो कम्पनी के वित्तीय हितों के प्रति ध्यान देने में कमी को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2015–16 से 2017–18 (निर्धारण वर्ष 2016–17 से 2018–19) के लिए दाखिल की गई आयकर विवरणी को अभी तक आयकर विभाग द्वारा अंतिमीकृत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, शेष अवधि के लिए आयकर विवरणी अभी तक दाखिल (अक्टूबर 2022 तक) नहीं की गई थी।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा समय पर टीडीएस की वापसी का दावा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप, ₹ 6.33 करोड़ की निधि अवरूद्ध हो गई।

राज कुमार

पटना **(राज कुमार)**
दिनांक : 07 जून 2024 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चन्द्र मुर्मू)**
दिनांक : 21 जून 2024 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**